फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

...लय ______

मगना बनाम सरकार

...संख्या /वर्ष : 50/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
12-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप। साबिक आदेशानुसार वास्ते आदेश हेतु दिनांक 16-5-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
16-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। तनकी संख्या 1 ता 2 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या –40/2024

मंगला पुत्र छोटू जाति अहीर निवासी खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. कमली देवी पत्नी मालीराम पुत्र मंगला

1/2. तोफान पुत्र मालीराम पुत्र मंगला

1/3. रामेश्वर पुत्र सुजाराम पुत्र मंगला

1/4. बिरदीचन्द पुत्र सुजाराम पुत्र मंगला

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खपरिया, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/5. लाली देवी पुत्री सुजाराम पुत्र मंगला पत्नी नारूराम जाति यादव निवासी जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/6. फूली देवी पुत्री सुजाराम पुत्र मंगला पत्नी रामूजी जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/7. बिदामी देवी पुत्री मंगला पत्नी मुरलीराम जाति अहीर निवासी मण्डा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/8. लाली देवी पुत्री मंगला पत्नी मंगलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम चारणवास तहसील सांभर जिला जयपुर।

1/9. झमकू देवी पुत्री मंगला पत्नी कल्लाराम

1/10. मन्नी देवी पुत्री मंगला पत्नी रामनारायण समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डा तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/11. कमला देवी पुत्री मंगला पत्नी रामगोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested

———वादीगण

बनाम

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

............प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री के. आर. शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 16.05.2025

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि छोटू व भैरू सगे भाई थे व शामिलात में काश्त करते थे। भैरू के काई पुत्र नहीं था उसका एक मात्र वारिस वादी मंगला ही है। यह कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 194/2, 195/2, 196/1, 197/1 कुल किता 4 कुल रकबा 68 बीघा 18 बिस्वा ग्राम खपरिया तहसील आमेर में स्थित भूमि रजिस्टर चकबन्दी संवत 1993 लगायत 2002 में वादीगण के पूर्वज हानूता वल्द जादू के नाम 1/3 हिस्सा अंकित था तथा स्व० हानूता अपने हक व हिस्सा 1/3 उक्त भूमि का चकदार दर्ज था। उक्त वर्णित भूमि में 6 बीघा भूमि बारानी दोयम व 62 बीघा 18 बिस्वा बंजड दोयम के रूप में दर्ज की गई। तहसील आमेर से भू–प्रबंध सर्वेक्षण 2000 लगायत 2023 हेतु सम्पन्न होने पर वाद पत्र के चरण क्रमांक 1 (क) में वर्णित भूमि साबिक खसरा नम्बर 194/2, 195/2, 196/2, 197/1 कुल रकबा 68 बीघा 18 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 218 रकबा 65 बीघा 14 बिस्वा बनाया जाकर भूमि को पूर्व खातेदारान् के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित नही किया जाकर बिना किसी आदेश व अधिकार के भू–प्रबंध विभाग द्वारा चारागाह के रूप में दर्ज कर दिया गया। जबकि भूमि न तो कभी चारागाह रही एवं न ही चारागाह भूमि के रूप में काम में ही आई, बल्कि भूमि पर सदैव से वादीगण के पूर्वज व उनके पश्चात् वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, एवं वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा काश्त हैं। इस कारण भू–प्रबंध विभाग द्वारा किया गया उक्त इन्द्राज वादीगण के हक व अधिकारों के प्रति पूर्णतः अवैध, गौर कानूनी व अधिकार क्षेत्र विहिन होने के कारण शून्य, प्रभावहीन व बेअसर हैं। खसरा नम्बर 218 रकबा 65 बीघा राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज हैं। खसरा नम्बर 218 की 11 बीघा भूमि पर मंगला पुत्र छोटू ही काश्त करता है [illegible] बना कर निवास कर रहा हैं। राजस्व रिकार्ड में यह भूमि चारागाह दर्ज है [illegible] पर इस भूमि पर मंगला पुत्र छोटू पूर्वजों के समय से काश्त [illegible] नम्बर 218 के 11 बीघा हाल खसरा नम्बर 684 रकबा 0.01 हैक्टेयर, [illegible] नम्बर 685 रकबा 0. 12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.26 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 694 रकबा 1. 65 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर भूमि पर

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13.17.14 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त हैं। इस आराजी का सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों की गलती के कारण चारागाह में इन्द्राज कर दिया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 11 बीघा हाल खसरा नम्बर 684 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 685 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 686 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 1.26 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 694 रकबा 1.65 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर पर वादी अपने पूर्वजों के समय से आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा हैं। उक्त आराजी आज दिन तक कभी भी चारागाह के काम में नही आई व वादी की आज तक उक्त भूमि का प्राकृतिक व खुदरा पैदावार का लाभ उठाता रहा है। वादग्रस्त आराजी का गलत इंद्राज चारागाह का होने के कारण प्रतिवादीगण वादी को हैरान व परेशान करते है। उक्त इंद्राज को वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये नोटिस अभिभाषक दिनांक 22/9/1992 नियमानुसार सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दीवानी तथा प्रतिवादी नम्बर 2 को अन्तर्गत धारा 79 राजस्थान पंचायत एक्ट प्रस्तुत कर इन्द्राज करवाने का निवेदन किया जो उनको प्राप्त हो गये है परन्तु उसका पालन नही किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को अपने सूचना पत्र के जवाब दिनांक 24/12/1992 के द्वारा जवाब दिया हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 गलत व अधिकार हीन कार्य कर वादी को दिनांक 9/12/1992 को धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का नोटिस दिया है व वादी को बेवजह परेशान किया जा रहा हैं। इस कारण यह दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादी अधिकारी है कि उक्त भूमि को अपने नाम खातेदारी में होने की घोषणा करवायें। प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है कि वह वादी की कब्जेशुदा भूमि से वादी को बेदखल करें। वादी को अधिकार है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत एवं मदाहखलत न करें और न ही कब्जे काश्त से बेदखल करें। वादकारण दिनांक 22.09.1992 को नोटिस की मियाद समाप्त होने से वादकारण पैदा होकर दावा पेश करना लाजमी हुआ है।

जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश कर कथन किया कि ग्राम खपरिया, तह. आमेर [illegible] हाल खसरा नंबर 684 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 685 रकबा 0.12 हैक्टे[illegible] खसरा नंबर 686 रकबा 0.12 हैक्टेर, खसरा नंबर 687 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 694 रकबा 1.65 कुल किता 5 कुल रकबा 3.16 की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चरागाह राजकीय खाते में दर्ज है। मंगला पुत्र छोटू कौम अहीर ग्राम खपरिया तह. आमेर के रहने वाले है हाल खसरा नंबर 684, 685, 686, 687,694 गत खसरा नंबर 218 से बने है। जो राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह दर्ज है। चरागाह भूमि पर सं. 2067 खरीफ में मंगला दि–छो कोय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

आमेर खाट 664, 665, 666, 667, 693, 694, 683 कुल किता 7 रकबा 2.73, पर अतिक्रमण है जिसकी धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्यवाही जारी है। तथा मुताबिक पटवारी हलका रिपोर्ट वादी लगभग सं. 2012 से अब तक भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम खपरिया तहसील आमेर के खाट ख.नं. 664, 665, 666, 667, 694, 683, 694 किता 7 रकबा 2.73, राजस्व रेकोर्ड में चरागाह दर्ज है जिस पर वादी वर्षों से कब्जा, काश्त कर बहैसीयत अतिक्रमी काबिज है। जिससे वादी के विरूद्ध एल.आर. एक्ट की धारा 91 की कार्यवाही की जारी रही है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज भूमि पर अतिक्रमी है जिसके विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वाद पत्र के मद नं. 3 में वर्णित भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने को अधिकारी है।

..........वादी

(2) आया वादी वाद पत्र के मद नं० 3 में वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि से महजाहमत मदाखलत तथा बेदखल नही करे।

........वादी

(3) आया वादी वादपत्र के मद नं० 3 में वर्णित भूमि कि किस्म चारागाह से परिवर्तित करवाये बिना नियमन या घोषणा करवाने का अधिकारी नही है।

......प्रतिवादी सं. 1

(4) अनुतोष !

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में सिफारिश तहसीलदार आमेर किस्म परिवर्तन व खातेदारी दर्ज करने दिनांक 10.05.1973 प्रदर्श– पी– 1, नोटिस धारा 79 पं... एक्ट दिनांक 22.09.1992 प्रतिवादी संख्या 2 प्रदर्श– पी–2, नोटिस धारा 80 ... संहिता दिनांक 22.09.19982 प्रतिवादी संख्या 1 प्रदर्श पी–3, 4 से 6 नोटिस ... प्रदर्श पी–4, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2026 से 2042 प्रदर्श पी–7, खसरा परिवर्तन निर्धारण संवत 2043 से 2044 प्रदर्श पी–8, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2049 प्रदर्श पी–9, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2045 प्रदर्श पी–10, खसरा गिरदावरी संवत 2022 पी–11, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2046 प्रदर्श पी–12, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 40 / 2024
बउनवानी – मंगला बनाम सरकार वगै0
निर्णय दिनांक :– 16.05.2025

2030 प्रदर्श पी–13, निर्णय तहसीलदार आमेर द्वारा गठित एडवाईजरी कमेटी दिनांक 27.06.1973 प्रदर्श पी 14, मिलान क्षेत्रफल दिनांक 01.07.1989 प्रदर्श पी–15, खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2067 प्रदर्श पी–16, जमाबंदी संवत 2067–2070 प्रदर्श पी–17, मिलान क्षेत्रफल संवत 2004 से. 2023 प्रदर्श पी–18, रजिस्टर चकबंदी संवत 1993 से 2002 प्रदर्श पी–19, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–20, रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार, महोदय तहसील आमेर, जिला जयपुर दिनांक 09.07.2014 प्रदर्श पी–21 के प्रदर्शित करवायें।

मौखिक साक्ष्य के रूप में तौफान पुत्र मालीराम का शपथ पत्र पेश किया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की वहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

तनकी संख्या 1 आया वादी वाद पत्र के मद नं. 3 में वर्णित भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने को अधिकारी है।

...........वादी

तनकी संख्या 2 आया वादी वाद पत्र के मद नं० 3 में वर्णित भूमि से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि से महजाहमत मदाखलत तथा बेदखल नही करे।

.......वादी

तनकी संख्या 1 एवं 2 सुविधा के दृष्टिगत एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 एवं 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है, संवत 1993 लगायत 2002 रजिस्टर चकबंदी निजामत के अनुसार वादी ने अपने वाद मे ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि वादी जादू पडपौत्र एवं हानूता का पौत्र पौत्र हो तथा वादी के पडदादा निजामत के समय सरकारी लगान इस भूमि बाबत ही जमा कराते आ रहे हो तथा लगातार काबिज रहे हो । इसके अतिरिक्त वादी ने यह भी साबित नहीं किया की [illegible] व वादी का चाचा, वादी के पिता व दादा की मृत्यु के पश्चात निर्बाध रूप से काबिज रह कर काश्त करते रहे हो। इस प्रकार वादी ने अपना कब्जा साबित नहीं किया है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर RRD 2002 Page [illegible] में प्रतिपादित किया है कि

Section 88- On the basis of entries in khasra girdawari plaintiff cannot be declared khatedar of disputed land- In this case plaintiff claimed khatedari rights on the basis of entries in khasra Girdawari. The khasra Girdawari is not a record of rights, therefore, on the basis of khasra Girdawari khatedari rights cannot be conferred. Further plaintiff could not prove his adverse

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested

possession. यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वादी को निजागत के पश्चात सन् 1956 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू होने के कारण इसकी धारा 91 के अंतर्गत वादी को व उसके चाचा को अतिक्रमी मान कर बेदखल किया जाता रहा है। अर्थात उक्त भूमि के चरागाह के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार ही की गई। इसके अतिरिक्त यदि वादी का कअमतेम चवेमेपवद मान भी लिया जावे तो भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यू कोर्ट को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है जैसा कि *आर.आर.टी. 2011(2) पेज नम्बर 721, आर.आर.डी. 2011 पेज नम्बर 508, आर. आर.टी 2011(1) पेज नम्बर 315, आर.आर.टी. 2011(2) पेज नम्बर 834, आर.आर. टी.. 2014—15(supp) पेज नम्बर 664 में विस्तार रूप से निर्णय पारित किया गया है।* उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 लगायत 2 को वादी साबित करने में असमर्थ रहे है अतः तनकी संख्या 1 लगायत 2 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया वादी वादपत्र के मद नं० 3 में वर्णित भूमि कि किस्म चारागाह से परिवर्तित करवाये बिना नियमन या घोषणा करवाने का अधिकारी नही है

......प्रतिवादी सं. 1

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी संख्या 1 लगायत 2 को साबित करने का भार वादी पर था परन्तु वादी तनकी संख्या 1 लगायत 2 साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी संख्या 3 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>निर्णय</u>

तनकी संख्या 1 लगायत 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। तद्नुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested

२-जनवरी-2023
Vinod Yadav

वजनवासी – मंगला बनाम सरकार वगैरा
प्रकरण संख्या – 40 / 2024
निर्णय दिनांक – 16.06.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –40 / 2024

मंगला पुत्र छोटू जाति अहीर निवासी खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

1/1. कमली देवी पत्नी मालीराम पुत्र मंगला

1/2. तोफान पुत्र मालीराम पुत्र मंगला

1/3. रामेश्वर पुत्र सुजाराम पुत्र मंगला

1/4. बिरदीचन्द पुत्र सुजाराम पुत्र मंगला

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खपरिया, तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/5. लाली देवी पुत्री सुजाराम पुत्र मंगला पत्नी नारूराम जाति यादव निवासी जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

1/6. फूली देवी पुत्री सुजाराम पुत्र मंगला पत्नी रामूजी जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/7. बिदामी देवी पुत्री मंगला पत्नी मुरलीराम जाति अहीर निवासी मण्डा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/8. लाली देवी पुत्री मंगला पत्नी मंगलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम चारणवास तहसील सांभर जिला जयपुर।

1/9. झमकू देवी पुत्री मंगला पत्नी कल्लाराम

1/10. मन्नी देवी पुत्री मंगला पत्नी रामनारायण समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डा तहसील चौमू जिला जयपुर।

1/11. कमला देवी पुत्री मंगला पत्नी रामगोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested

————वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. ग्राम पंचायत अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

............प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Vinod Yadav

प्रकरण संख्या – 40 / 2024
बउनवाली – मंगला बनाम सरकार वगै0
निर्णय दिनांक :– 16.05.2025

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 16.05.2025

तनकी संख्या 1 लगायत 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने एवं तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ––––

ओहदा ––––

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित	4 रूपये	
मीजान	4 रूपये		मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:17:14 IST
Reason: SelfAttested